राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 1302/2013

ईशाक मोहम्मद गौरी

–अपीलार्थी

<u>बनाम</u>

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, संस्कृत शिक्षा, संस्कृत निदेशालय, शिक्षा संकूल, जेएलएन मार्ग, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 26.04.2024

उपस्थिति :–
अपीलार्थी की ओर से : श्री नरेन्द्र कुमार सैनी, अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

<u>आदेश</u>

1. अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी को अध्यापक ग्रेड–तृतीय (अंग्रेजी) विषय के पद पर पदस्थापित किया गया था। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी की पदोन्नति वर्ष 2013 में की गयी, जबकि अपीलार्थी उससे पूर्व ही पदोन्नति प्राप्त करने का अधिकारी होता है। उपरोक्त तथ्य अंकित करते हुए अपीलार्थी ने यह तथ्य अंकित किये हैं कि वह अपील में प्रस्तुत आधारों के परिप्रेक्ष्य में प्रत्यर्थी विभाग को अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करना चाहता है।
2. हमने विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी। बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।
3. अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी 2 सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के

संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी 6 सप्ताह की अवधि में नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देश अभ्यावेदन को विशिष्ट रूप से निस्तारित करने के लिए नहीं दिए जा रहे है वरन् मात्र इस आशय से दिए जा रहे है कि अपीलार्थी के अभ्यावेदन का उक्त निर्देशित अवधि में नियमानुसार निस्तारण किया जावे।

4. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)